अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

रामगोपाल .... **बनाम** रोहित कुमार वगैरह

किस्म मुकदमा .225 राज.काश्तकारी अधिनियम . .नम्बर....148 सन.2022 (दूदू)

	2022/148 श्री रूपक शर्मा एड़ श्री बी.एल.शर्मा/राकेश अरोड़ा–1.	
21.06.2022	**राम गोपाल बनाम रोहित कुमार वगैरह (148/2022)** पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र स्थगन पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट एवं अभिभाषक केवियटकर्ता (रेस्पोडेन्ट संख्या 01) को प्रार्थना पत्र पर दिनांक 14.06.2022 को सुना गया। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि विचारण न्यायालय के समक्ष जो वाद पत्र व अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ था उसकी इबादत से ही स्वतः स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1469 का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार वर्तमान में अपीलांट चला आ रहा है, अपीलांट ने उक्त आराजी जरिये विक्रय विलेख रेस्पोडेन्ट संख्या 03 से विधिवत प्रतिफल देकर क्रय की है और जिसके पश्चात नामान्तकरण भी अपीलांट के नाम स्वीकृत हो चुका है। विचारण न्यायालय को यह देखना चाहिए था कि उक्त आराजी कभी भी रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 02/वादीगण के नाम नहीं आई है जिसके बावजूद विचारण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 31.05.2022 के द्वारा अपीलांट तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 03 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कर अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर आदेश पारित किया है। बिना अपीलांट पर विधिवत नोटिस जारी किये एक तरफा में दावा प्रस्तुतीकरण के दिन ही अपीलांट को जो की रिकार्डेड खातेदार है के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर दी। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू के आदेश दिनांक 31.05.2022 की आड़ में अब रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 02 अपीलांट को उसके कब्जे काश्तशुदा आराजीयात पर से बेदखल करने पर आमादा है ऐसी स्थिति में अगर एक रिकार्डेड अनुसूचित जाति/जनजाति के खातेदार काश्तकार को उसकी आराजी पर से बेदखल कर दिया जाता है तो अपीलांट का यह अपील प्रस्तुत करने का औचित्य ही समाप्त हो जायेगा। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्थगन स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू के आदेश दिनांक 31.05.2022 की पालना व प्रभाव को ताफैसला अपील न्यायहित में स्थगित फरमाया जावें। अभिभाषक केवियटकर्ता (रेस्पोडेन्ट संख्या 01) ने दौराने जवाब प्रार्थना पत्र स्थगन निवेदन किया कि खाता संख्या 167 के खसरा नम्बर 1469 रकवा 0.5500है0 भूमि जिसका पर्चा सैटलमेन्ट सम्वत 2011 से ही रेस्पोडेन्ट का कब्जा रहा है वर्तमान में भी मौके पर एकजाई कर काबिज है,परन्तु सहवन से अप्रार्थीगण वर्तमान में अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 03 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज कर गलत तरमीम कर दी है जबकि उक्त आराजी पर कब्जा रेस्पोडेन्टस का शांतिपूर्वक रूप से चला आ रहा है जिससे अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 03 का कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी बाबत् वाद की बाहुल्यता नहीं बढ़े इसलिए राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश पारित किये है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं की है। यदि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की क्रियान्विति/पालना स्थगित की जाती है तो अपीलांट उक्त विवादित आराजी का बेचान, हस्तातंरण, रहन कर देगा जिससे अपीलांट का अपूरणीय क्षति कारित होगी। विवादित आराजी बाबत् हक–हकूको का विनिश्चत भी मूल वाद में निर्धारित होगा है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है,जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की	

राजस्व अपील प्राधिकारी

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

रामगोपाल .... बनाम रोहित कुमार वगैरह

किस्म मुकदमा .225 राज.काश्तकारी अधिनियम . .नम्बर....148 सन.2022 (दूदू)

आधार

आवश्यकता नही है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जावें।

अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति व प्रस्तुत दस्तोवजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 31.05.2022 को आराजीयात ग्राम खेड़ानागरान तहसील दूदू में स्थित है की आगामी तारीख पेशी तक राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश पारित किये है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश की जानकारी होने पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत कर अपना पक्ष रखना चाहिए था जो उनके द्वारा नही किया गया एवं अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होकर यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद उभयपक्ष की सुनवाई कर किया जाना है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आदेश तक पक्षकारान के मध्य और अधिक वाद बाहुल्यता नहीं बढ़े व वाद में विधिक जटिलता नहीं बढ़े इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश 31.05.2022 यथावत् रखा जाना उचित समझते है। जाप्ता दीवानी के प्रावधानों के अनुसार एक पक्षीय आदेश पारित होने पर उस आदेश का अन्तर्गत आदेश 39 नियम 3क के तहत् 30 दिन के भीतर–भीतर निस्तारण किया जाना आवश्यक होता है। न्यायहित में व पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए अपील को आंशिक स्वीकार कर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय न्यायालय उपखण्ड, दूदू को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है वे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम में उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसार देते हुए, प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निस्तारण जाप्ता दीवानी के प्रावधानों आदेश 39 नियम 3क के प्रावधानों के अनुसार 30 दिवस के भीतर–भीतर किया जावें। पक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 05.07.2022 को उपस्थित होंने हेतु पाबंद किया जाता है। आदेश की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय का भिजवायी जावे। गिराल फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर